न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 50 / 2023

वादीगणः—

1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु
2. हनुमान राम पुत्र चन्द्रभानु
   जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः— 5/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 1.1083 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5491 / 3870 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.8090 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.4513 हैक्टेयर आयी हुयी है। यह भूमि वादी के दादा रामाराम पुत्र कुम्भारामजी की खातेदारी की थी। ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2905 / 3 रकबा 0.3479 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रक़बा 0.8333 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि वादीगण के दादा रामाराम पुत्र कुम्भारामजी की खातेदारी की थी। वादपत्र में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम जी थे, उनके दावे के पद संख्या—1 व 2 में वर्णित भूमि में 1 / 2 वॉ हिस्सा है। संयुक्त खातेदार रामाराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का राजस्व रेकर्ड में उनके पांच पुत्र भूराराम, पूनाराम, गजाराम, चन्द्रभानु, लिखमाराम के नाम से स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल का देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल के स्थान पर उनके दो पुत्र अशोक, हड़मान तथा पत्नी लाबूडी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया तत्पश्चात चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल की पत्नी लावूडी का देहान्त दिनांक 07.08.2019 को हो गया। संयुक्त खातेदार लावूडी पत्नी चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल के देहान्त हो जाने के बाद उसकी खातेदारी भूमि का दावे के पद संख्या—1 में वर्णित भूमि का फौतेदगी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नामान्तरकरण संख्या–3415 उसके दो पुत्र अशोक, हनुमान तथा उसकी पुत्री मृतक दुर्गादेवी के पुत्र महेन्द्र, सुरेन्द्र, कमलादेवी के नाम से प्रक्रियाधीन है। तथा दावे के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में मृतक लाबूडी के देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण उसके दो पुत्र अशोक, हनुमान तथा उसकी मृतक पुत्री दुर्गादेवी के वारिशानों के नाम से स्वीकृत किया जा चुका है। वादी संख्या–1 व 2 के पिता को घर में लाड प्यार से मिश्रीलाल पुकारते थे और वादी संख्या–1 व 2 के पिता चन्द्रभानु का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम चन्द्रभानु लिखा हुआ है। जब वादी संख्या–1 से 2 के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम जी का देहान्त हुआ तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटीवश उनका फौतेदगी नामान्तरकरण मे वादी संख्या–1 व 2 के पिता चन्द्रभानु के बजाय मिश्रीलाल दर्ज कर दिया, जबकि चन्द्रभानू व मिश्रीलाल एक ही व्यक्ति है। संख्या–1 व 2 के पिता चन्द्रभानु का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण उसकी शुद्धि करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और नाम शुद्धि करने हेतु का निवदेन किया और अपने सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी जी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर वादीगण को बताया कि आपके पिता का सरकारी दस्तावेज में नाम चन्द्रभानु तथा जमाबंदी में मिश्रीलाल लिखा हुआ है, इस कारण शुद्धि नहीं की जा सकती है, जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और अपने पिता का नाम शुद्धि करवाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा से निवेदन किया और उन्होनें राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वांदीगण को कहा कि आपके पिता का नाम जमाबंदी में मिश्रीलाल गलत दर्ज हो गया है, इस कारण आप न्यायालय से सक्षम दावा पेश करके शुद्धि की कार्यवाही को करावे तब न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम की भूमि दर्ज की जायेगी। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने पिता मिश्रीलाल के स्थान पर चन्द्रभानु दर्ज कराने हेतु यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करना पड़ रहा है। वादीगण का पहचान पत्र राशनकार्ड, आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक डायरी आदि सरकारी दस्तावेजों में अपने पिता का नाम चन्द्रभानू दर्ज किया हुआ है। वादीगण के पिता का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी भूमि पर ऋण नहीं ले सकते है, और न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है। अतः वादीगण अपनी खातेदारी खातेदारी भूमि में अपने पिता के नाम की शुद्धि की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विवादित भूमि में किसी भी पक्षकार का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नही होता है. इस कारण दावे में उनको पक्षकार नही बनाया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वाद कारण जब वादीगण के दादा रामाराम के देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण में उनके पुत्र चन्द्रभानु के बजाय मिश्रीलाल नाम गलत दर्ज कर देने पर तथा प्रतिवादी ने जमाबंदी में गलत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना करने पर बमुकाम ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो वादकारण निरन्तर जारी है। दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम भावी (एस.बी. व जे.बी.) तहसील बिलाडा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 1.1083 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5491/3870 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.8090 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.4513 हैक्टेयर मे दर्ज 1/3 वॉ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार अशोक पुत्र मिसरीलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा 1/3 वॉ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हुनमान राम पुत्र चन्द्रभानु की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे । ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2905/3 रकबा 0.3479 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8333 हैक्टेयर मे दर्ज 4/9 वॉ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा 4/9 वॉ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार हड़मान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1758 रकबा 1.1083 हैक्टयर, खसरा नंबर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टयर, खसरा नंबर 5491/3870 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.8090 हैक्टयर कुल रकबा 2.4513 हैक्टयर आई हुई है, जो भूमि वादी के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी थी। ग्राम भावी जे.बी. की सीमा में स्थित खसरा नंबर 2905/3 रकबा 0.3479 हैक्टयर, खसरा नंबर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टयर कुल खसरा 2 रकबा 0.8333 हैक्टयर आई हुई है। यह भूमि पूर्व में वादी के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी भूमि थी। वादीगण के पिता का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में भावी एस.बी. में विरासत नामा. 1258 व भावी जे.बी. के विरासत नामा.सं. 1008 के जरिये मिश्रीलाल दर्ज हुआ। खातेदार मिश्रीलाल व उसकी पत्नी लाबूडी के फौत होने पर वादीगण का प्रथम राजस्व रेकर्ड में नाम विरासत नामा. के जरिये

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अशोक व हनुमान दर्ज हुआ। पद सं. 4 से 6 तक जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 7 से 10 तक जवाब कानूनी है। वादीगण की ईस्तदुआ है कि हमारे पिता व हमारे नाम विरासत नामा. के जरिये अशोक पुत्र मिसरीलाल व हनुमान पुत्र मिश्रीलाल दर्ज हुए है। जिनकी दुरूस्ती की जाकर हमारे नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दुरूस्त किये जावें। वादीगण द्वारा अपना व पिता का नाम सरकारी दस्तावेजों में अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु होना बताया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नंबर 1758 रकबा 1.1083 हैक्टयर, खसरा नंबर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टयर, खसरा नंबर 5491/3870 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.8090 हैक्टयर कुल रकबा 2.4513 में 1/3–1/3 हिस्से में ,व ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नंबर 2905/3 रकबा 0.3479 हैक्टयर, खसरा नंबर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टयर कुल रकबा 0.8833 हैक्टयर में 4/9–4/9 में दर्ज प्रविष्टि 1 अशोक पुत्र मिश्रीलाल 2 हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर 1 अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु 2 हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की खातेदारी घोषित किये जाने की रिपोर्ट पेश है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा नंबर 1758 , प्रदर्श 2 आधारकार्ड हनुमानराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु, प्रदर्श 4 बैंक डायरी , प्रदर्श 5 जॉब कार्ड हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु, प्रदर्श 2 आधार कार्ड हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र लाबूदेवी पत्नी चन्द्रभानु, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल व हडमान पुत्र मिश्रीलाल के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल व हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नंबर 1758 रकबा 1.1083 हैक्टयर, खसरा नंबर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टयर, खसरा नंबर 5491/3870 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.8090 हैक्टयर कुल रकबा 2.4513 में 1/3–1/3 हिस्से में व ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नंबर 2905/3 रकबा 0.3479 हैक्टयर, खसरा नंबर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टयर कुल रकबा 0.8833 हैक्टयर में 4/9–4/9 में दर्ज प्रविष्टि 1 अशोक पुत्र मिश्रीलाल 2 हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर 1 अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु 2 हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

अशोक कुमार सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 50/2023

निर्णय **दिनांक :–** 5/11/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नंबर 1758 रकबा 1.1083 हैक्टयर, खसरा नंबर 4403 रकबा 0.4935 हैक्टयर, खसरा नंबर 5491/3870 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.8090 हैक्टयर कुल रकबा 2.4513 में 1/3–1/3 हिस्से में व ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नंबर 2905/3 रकबा 0.3479 हैक्टयर, खसरा नंबर 4407 रकबा 0.4854 हैक्टयर कुल रकबा 0.8833 हैक्टयर में 4/9–4/9 में दर्ज प्रविष्टि 1 अशोक पुत्र मिश्रीलाल 2 हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर 1 अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु 2 हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज **मुबलिग** **–** **बाबत् –**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/11/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा